Theories of public expenditure —

लोक व्यय का सिद्धांत

M.A sem-III CC-12

class by - Dr. Manish Kumar

सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सरकार को आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए धन का आवंटन और प्रयोग करने में मदद करते है।

सार्वजनिक व्यय — सरकार (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) द्वारा नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं एवं सुरक्षा के लिए किया जाने वाला व्यय है।

सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत विवेचना करता है कि सरकार के द्वारा किन सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान किया जाय तथा कितनी मात्रा में प्रदान किया जाए। इन्हे निम्न प्रकार के सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है।—

(1) अधिकतम - सामाजिक लाभ का सिद्धांत (Canon of Maximum Social Benefit)
(2) लागत - लाभ विश्लेषण का सिद्धांत (Canon of Cost Benefit Analysis)
(3) मितव्ययिता का सिद्धांत — (Canon of Economy)
(4) स्वीकृति का सिद्धांत — (Canon of Sanction)
(5) लोच का सिद्धांत — (Canon of Elasticity)
(6) उत्पादकता का सिद्धांत — (Canon of Productivity)
(7) न्यायसंगत वितरण का सिद्धान्त — (Canon of Equitable Distribution)
(8) संतुलित आय और व्यय का सिद्धांत — (Canon of Balanced income & Expenditure).

सार्वजनि व्यय के अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत —

यह सिद्धांत यह कहता है कि सरकार को अपने व्यय के योजना सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से बनानी चाहिए।

यह सिद्धांत सरकार को पूरे समाज की समग्र संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए कहता है, न कि समाज के किसी एक वर्ग की। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि समाज में असमानताओं को सरकार के खर्चे को इष्टतम आवंटन से कम करना चाहिए

(2) लागत - लाभ विश्लेषण का सिद्धांत —

यह सिद्धांत के द्वारा इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि संसाधनों की कमी के कारण, सरकार को अपने धन को आवंटित करने के लिए परियोजनाओं का चुनाव न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ वाली के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए।

(3) मितव्ययिता का सिद्धांत —

अर्थव्यवस्था में परियोजनाओं में निवेश सरकार को मितव्यय के दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। सरकार को किसी भी मद पर न्यूनतम आवश्यक धनराशि ही व्यय करनी चाहिए। तथा दूसरी ओर उसे यथा सम्भव समाज की उत्पादन शक्ति में वृद्धि भी करनी चाहिए। यह सिद्धांत मूलरूप से करदाताओं के हितों की रक्षा करना है केवल खर्चे की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने ही नहीं बल्कि सरकारी आय बढ़ाने की दृष्टि से भी।

(4) स्वीकृति का सिद्धांत —

यह सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी धनराशि उस समय तक खर्च नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उस खर्च के लिए उपयुक्त अधिकृत व्यक्ति से स्वीकृति या अनुमति न मिल जाए। अतः इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि सभी अविवेकपूर्ण तथा अन्धाधुन्ध खर्चों को रोका जा सके। इस सिद्धांत के अनुसार वित्तीय वर्ष के

अन्त में सरकारी खातों का सदा लेखा-परीक्षण (Audit) तथा निरीक्षण (Inspection) किया जाता है।

(5) लोच का सिद्धांत — इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय में यथासंभव लोच होनी चाहिए। राज्य की व्यय-नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो देश की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ स्वयं को परिवर्तित कर सके।

(6) उत्पादकता का सिद्धांत — सामाजिक तथा सरकारी सेवाओं की उपज में तथा सामुदायिक उपभोग की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकारी खर्च में व्यापक विस्तार की आवश्यकता होती है। अतः इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि राज्य की व्यय नीति ऐसी होनी चाहिए जोकि सम्पूर्ण रूप में देश के उत्पादन को प्रोत्साहित करे।

(7) न्यायसंगत वितरण का सिद्धांत — इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस तरह से किया जाना चाहिए कि आय के वितरण में असमानताएं न्यूनतम हो जाए। सार्वजनिक व्यय को समुदाय के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच आय का न्यायसंगत और समान वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

(8) संतुलित आय और व्यय का सिद्धांत — इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की आय और व्यय में संतुलन होना चाहिए। बजट में न तो अधिशेष हो और न ही घाटा होना चाहिए। अधिशेष की स्थिति में सरकार को जितना खर्च कर सकता है, उससे कम खर्च करना चाहिए। इसके विपरीत, घाटे की स्थिति में सरकार को जितना व्यय कि आवश्यता है, उससे अधिक व्यय करना चाहिए। अर्थात अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन कि स्थिति बनानी होती है